न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00100 — दायरा दिनांक : 03.06.2019

उनवान

1— श्यामलाल उर्फ राधेश्याम पुत्र नन्दलाल, जाति पाटीदार
2— परमेश्वर पुत्र बसन्तीलाल, जाति पाटीदार
3— रामकिशन पुत्र बालमुकन्द, जाति पाटीदार
4— शम्भू पुत्र बालाराम, जाति बैरागी
5— रामप्रसाद पुत्र नन्दलाल, जाति पाटीदार
6— केशूराम पुत्र भैरूलाल, जाति पाटीदार
7— बिरधीचन्द पुत्र भैरूलाल, जाति पाटीदार
8— बबलू पुत्र मांगीलाल, जाति कुम्हार
9— नन्दलाल पुत्र मन्नालाल, जाति पाटीदार, सकनाये समराई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0 .... अपीलांट

बनाम

1— बालाराम उर्फ बालचन्द वल्द नानूराम, जाति कुल्मी, निवासी समराई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0 .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बच्चू लाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय — दिनांक : 07.02.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या — 253/ प्रार्थना—पत्र/2017 निर्णय दिनांक 27.05.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 01 व 02 जा0 दी0 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम समराई पटवार हल्का समराई भू अभिलेख निरीक्षक समराई, तहसील झालरापाटन की खेवट खतौनी सं. नया 188 पुराना 110 में कुल किता 17 कुल रकबा 26 बीघा 01 बिस्वा में से खसरा नम्बर 499 रकबा 11 बिस्वा बीड, खसरा नम्बर 500 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 557 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा आराजी को विवादग्रस्त आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 27.05.2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला कन्फर्म किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ग्राम समराई तहसील झालरापाटन की खाता खेवट खतौनी संख्या नया188 पुराना 110 में कुल किता 17 कुल रकबा 26 बीघा 01 बिस्वा में से खसरा नम्बर 499 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 500 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा एवं खाता संख्या 252 पुराना 230 खसरा नम्बर 557 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा आराजी में किसी भी तरह से रास्ता कायम न करें और न ही प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर किसी भी तरह मदाखलत एवं मजाहमत न करें और न ही किसी अन्य से ऐसा करवाये जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड का निर्णय विधि विरूद्ध है, पत्रावली पर आई साक्ष्य के विरूद्ध है जिस कारण अपास्त होने योग्य है। अपीलांट ने दिनांक 18.10.2017 को रेस्पोडेंट बालाराम के स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 499 रकबा 11 बिस्वा किस्म बीड, आराजी खसरा नम्बर 500 के दक्षिण में स्थित है। खसरा नम्बर 499 में हमेशा से अप्रार्थीगण एवं अन्य व्यक्तियों का बैलगाडी, ट्रेक्टर मय ट्रोली, थ्रेशर आदि लाने ले जाने का रास्ता जायज अज 40 साल से चालू है चला आ रहा है। यह खसरा नम्बर रास्ते के रूप में ही काम में आ रहा है। खसरा नम्बर 557 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा जो रेस्पोडेंट बालाराम के गैरखातेदारी में दर्ज है में भी जायज अज 40 सालों से प्रतिवादीगण का बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि का रास्ता चालू रहा है एवं चालू है। इन दोनों खसरा नम्बरान में रास्ते के बाबत ग्राम पंचायत समराई में अप्रार्थीगण ने प्रार्थी यानि रेस्पोडेंट बालाराम के

खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09.08.1979 को पेश किया था जिसमें विधिवत कार्यवाही की गई एवं जिसका निर्णय दिनांक 10.10.1979 को अपीलांट तथा ग्रामवासियान के हक में हुआ तथा रेस्पोडेंट बालाराम ने रास्ता रोका था जिस पर उसके खिलाफ 10/– रूपये जुर्माना भी किया। इस निर्णय की सत्य प्रतिलिपी अपीलांट्स ने मातहत न्यायालय में पेश की है एवं अपीलांट्स से निवेदन किया कि फरीकेन के बीच रास्ता सम्बन्धी विवाद है जिस कारण रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। मातहत न्यायालय ने उक्त सत्य प्रतिलिपी पर गौर नहीं फरमाया जो काबिल गौर है रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपीलांट्स रामकिशन, रामप्रसाद, केशूराम, बिरधीचन्द, नन्दलाल तथा अन्य ग्रामवासियान के खिलाफ मातहत न्यायालय में एक राजस्व वाद नम्बर 766/1996 अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था जिसमें खसरा नम्बर 500 की 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अपीलांट्स तथा अन्य ग्रामवासियान ने जबरन कब्जा कर भूमि खोद दी है प्लीड किया। रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने उसमें गवाही दी एवं जिरह में माना कि उसके तथा अपीलांट्स के बीच रास्ते का विवाद है। इस वाद में प्रकाश चन्द का भी बयान कराया गया एवं यह वाद न्यायालय ने खारिज किया। रेस्पोडेंट ने अपीलांट्स के खिलाफ झूठे व बनावटी तथ्यों पर यह दावा तथा स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया जो मातहत न्यायालय ने खारिज न कर कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट की ओर से वाद में तीन प्रार्थना पत्र भी पेश किये गए थे जिन पर मातहत न्यायालय ने कोई आदेश न देकर जल्दी में बिना पत्रावली पर न्यायिक गौर फरमाये आदेश जैर अपील दिया है जो खारिज होने योग्य है। मातहत न्यायालय का निर्णय परवर्स है, केप्रिसियस है एक तरफा है, जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील पेश कर अपीलांट्स निवेदन करते हैं कि मातहत न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, नोटिस जारी किये गये । बहस अभिभाषकगण उभयपक्षीय सुनी गई।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी/रेस्पाडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पेश कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 499 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 500 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 557 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जो कि वादी की पुश्तैनी आराजी है, की दक्षिणी मेड पर प्रतिवादीगण/अपीलांट नया रास्ता बनाने पर अमादा है। अतः इनको जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी/अपीलांट ने अपील पेश कर अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड में वादी/रेस्पाडेंट के द्वारा पूर्व में एक दावा प्रकरण संख्या 766/दावा/1997 उनवान बालचंद बनाम रामकिशन अन्तर्गत धारा 188–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम समराई में वादी के खातेदारी की आराजी खाता संख्या 103 की कुल 17 किता की 26 बीघा 1 बिस्वा आराजी के खसरा नम्बर 500 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा में प्रतिवादीगण जबरन कब्जा कर खाई खोद रहे है। प्रतिवादीगण इस भूमि के बीच में होकर रास्ता निकाल रहे है। उपखण्ड अधिकारी, झालावाड द्वारा दिनांक 17.08.2006 को निर्णय पारित किया कि वादी अपने वाद पत्र की पुष्टि कर पाने में पूर्णतः असफल रहा। फलतः दावा वादी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। अभिभाषक रेस्पाडेंट/वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि मेरी आराजी में से पहले रास्ता नहीं था यदि आराजी पर जाने के लिये रास्ता चाहिये तो प्रतिवादी/अपीलांट धारा 251 में रास्ता प्राप्त कर सकता है। अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस आधार पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य जो विवाद है वह केवल रास्ते का ही विवाद है। वादी/रेस्पाडेंट द्वारा प्रस्तुत धारा 212 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिये पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड द्वारा निर्णय दिनांक 27.05.2019 को आदेश पारित किया कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी में किसी भी तरह से रास्ता कायम न करें और न ही प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर किसी भी तरह मदाखलत एवं मजाहमत न करें और न ही किसी अन्य से ऐसा करवाये। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने जो निर्णय पारित किया है वह सही है जिसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। यदि प्रतिवादीगण/अपीलांट रास्ता प्राप्त करना चाहते है तो सक्षम न्यायालय में धारा 251 का प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

07/02/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा